न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 45/2025

निर्णय दिनांक :–13.10.2025

उनवानी प्रार्थना पत्र

1. बलराम राव पुत्र रमेश चंद राव जाति ढोली उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :–

श्री सांवरिया बैरागी
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए.

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की आराजीयात खाता नम्बर 1362 खसरा नम्बर 3725 रकबा 1.2800 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 1.28 है0 वाके तनग्राम दूनी पटवार हल्का दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में आराजी खसरा नम्बर 3728 रकबा 0.1800 है0 राजकीय भूमि दर्ज है तथा खसरा न0 3746 रकबा 0.1300 है0 गै0मु0 रास्ता दर्ज है। प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि पर खसरा न0 3746 गै0मु0 रास्ता से राजकीय सिवायचक खसरा नम्बर 3728 में से होकर आता जाता रहा है तथा उपयोग उपभोग करता आ रहा है तथा अपने कृषि यंत्र भी इसी रास्ते से होकर लाता ले जाता है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। राजस्व रिकार्ड में आने जाने का रास्ता दर्ज नही होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा अपनी भूमि को काश्त नही कर पा रहा है। प्रार्थी को अपनी उक्त आराजीयात पर आने जाने के लिये गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 3746 से राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 3728 में से होकर 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की आराजीयात खाता नम्बर 1362 खसरा नम्बर 3725 रकबा 1.2800 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 1.28 है0

Ruby

वाके तनग्राम दूनी पटवार हल्का दूनी तहसील दूनी जिला टोंक में आने जाने के लिये गै0 मु0 रास्ता खसरा नम्बर 3746 से राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 3728 में से होकर 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावे। अप्रार्थी लेण्ड हॉल्डर होने प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी की आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

अप्रार्थी तहसीलदार की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार हैः– प्रार्थी आराजी पर पहुंचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की लंबाई चौडाई निम्न प्रकार है–

क्र.स.	खसरा नम्बर	लंबाई (मीटर)	चौड़ाई (मीटर)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1	3728	27	9.20	248

प्रस्तावित रास्ता चाहे जाने वाली कृषि भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 1279000/– प्रति0 है0 है जिसकी एक गुणा कुल राशि 31719 व दुगुनी 63438 रूपये होगी। प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 3746 गै0मु0 रास्ते से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि सिवायचक है। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी खसरा नम्बर 3728 रकबा 0.18 है0 किस्म सिवायचक में से रास्ता चाहता है जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना इत्यादि नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता सिवायचक भूमि में से है जिसके सम्बंध माननीय न्यायालय द्वारा रास्ता दिया जाना है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, और डीएलसी की प्रति संलग्न कर रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में नियमानुसार कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जावे तो कोई आपति नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की। साथ ही प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पेश पेश करते समय सहवन से 30

Ruby

फीट रास्ता की बजाय 20 फीट रास्ता गलत अंकित हो गया है इस कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता 20 फीट की जगह 30 फीट माना जावे। उक्त संशोधन से प्रार्थना पत्र की प्रकृति पर कोई असर नही पड़ता है तथा प्रतिपक्षी को किसी प्रकार की असुविधा नही होगी। अतः प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता 20 फीट की जगह 30 फीट रास्ता संशोधन करने की कृपा करे।

अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी की बहस पर मनन किया। अधि. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में रास्ता 30 फीट की जगह 20 फीट सहवन से अंकित हो गया है उक्त संशोधन से प्रार्थना पत्र की प्रकृति पर कोई असर नही पड़ता है तथा प्रतिपक्षी को किसी प्रकार की असुविधा नही होगी। अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी स्वीकार की गई।

तहसीलदार दूनी ने जवाब व रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट में प्रार्थी की आराजी खसरा न0 3725 रकबा 1.28 है0 में पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि राजकीय भूमि सिवायचक है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायोचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि कार्यालय कमांक 431 दिनांक 4.10.2025 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार खाता नम्बर 1362 खसरा नम्बर 3725 रकबा 1.2800 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 1.28 है0 वाके तनग्राम दूनी पटवार हल्का दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में कृषि कार्य हेतु पहुंच मार्ग हेतु ख. नं. 3728 रकबा 0.1800 है0 में से 9.20 मीटर चौड़ाई व 27 मीटर लम्बाई कुल 248 वर्ग मीटर के लिए डी. एल. सी दर 1279000/– प्रति है0 के अनुसार 248 वर्ग मीटर के लिए जिसकी एक गुणा कुल राशि 31719 व दुगुनी 63438 रूपये प्रतिकर राशि जमा कर अथवा पुनः वर्तमान में प्रचलित डीएलसी की दुगनी दर से गणना कर राशि जमा राजकोष कर, राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ते के रूप में अमल दरामद कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करे। पत्रावली नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 13.10..2025 को सुनाया गया।

Ruby
उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)